राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारी :– **साधुराम जाट (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बरः–**14 / 2020**

निर्णय दिनांक :– 12.08.2021

1. जनती बानों पत्नी कासू खां पुत्री फरीद खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरू।
2. सलामन बानों पत्नी महनू खं पुत्री फरीद खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरू।
3. भंवरी बेगम पत्नी अस्त अली खान पुत्री फरीद खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी मीडावासी तहसील राजगढ जिला चुरू।

– **वादीयागण**

बनाम

1. इस्लाम पुत्र मनवर खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
2. नब्बू खां पुत्र अब्दू खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
3. बाबू खां पुत्र अब्दु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
4. मैनू बानू पत्नी नब्बू खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
5. मुमताज खा पुत्र अब्दुखा जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
6. जमीला पुत्री फतु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
7. नजमा पुत्री फतु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
8. हाजरा पत्नी फतु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) **मृतक**
9. असलम पुत्र फतु खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)

10. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक मलसीसर तह. मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)

11. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुं. (राज.)

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय मलसीसर तहसील मलसीसर जि. झुन्झुनू (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ एवं खाता विभाजन

निर्णय दिनांकः– 12.08.2021

अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 159 रकबा 31 बीघा 4 विश्वा भूमि स्थित थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 235 रकबा 4.37 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 236 रकबा 3.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.89 हैक्टर भूमि अवस्थित है। इसी प्रकार ग्राम मलसीसर में बागे खां नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसके तीन पुत्र अब्दुल खां, लावदी खां व फरीद खां हुवे। लावदी खां के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि अबदु खां के दर्ज हो गई और संवत 2012 में जब राजस्व रिकार्ड बना तब अबदु खां के 2/3 हिस्सा तथा फरीद खां के 1/3 हिस्सा भूमि आई जिस पर वे ताउम्र काबिज काश्त हुवे। अबदु खां के पांच पुत्र भवरू खां, प्रतिवादी संख्या 2 नबू खां, प्रतिवादी संख्या 3 बाबू ख़ां, प्रतिवादी संख्या 5 मुमताज खां तथा फतु खां हुवे। फरीद खां के तीन पुत्रियां वादीयागण हुई। चुंकि फरीद खां के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से उसने अपने भाई अबदु खां के पुत्र फतु खां को गोद ले लिया, इस प्रकार फरीद खां के फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर उसकी पुत्रीयां वादीयागण एवं फतु खां काबिज काश्त हुवे। इसी प्रकार अबदु खां के पुत्र फतु खां, फरीद खां के गोद जाने के बाद अबदु खां के चार पुत्र भंवरू खां, बाबू खां तथा नबू खां तथा मुमताज रहे भंवरू खां के फौत होने पर उसकी पत्नी शायरा बानो ने अपना हिस्सा इस्लाम खां पुत्र मनवर खां को विक्रय कर दिया तथा शेष भूमि अबदु खां के पुत्र बाबू खां तथा नबू खां तथा मुमताज के हिस्से में आई जिस पर वे मौके पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड संवत 2012 में बना तो उक्त वर्णित भूमि में अब्दु खां पुत्र बागे खां हिस्सा 2/3, फरीद खां पुत्र बागे खां हिस्सा 1/3 दर्ज हुआ। लावदी खां फौत होने के कारण संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका। संवत 2009, 2010, 2011 तथा 2012 की खसरा गिरदावरी में फरीद खां, अब्दु खां बराबर हिस्सा काश्त दर्ज है। सवंत 2013 से लेकर आगे तक अब्दु खां काश्त 2/3 तथा फरीद खां काश्त 1/3 दर्ज है। जमाबंदी संवत 2012 से 2015 उप कृषक अब्दु खां पुत्र बागे खां 2/3, फरीद खा

पुत्र बागे खां 1/3 दर्ज है। संवत 2016 से 2019 की जमाबंदी में अब्दु खां पुत्र बागे खां का हिस्सा 2/3 तथा फरीद खां पुत्र बागे खां का हिस्सा 1/3 खातेदारी दर्ज है। दिनांक 3/6/1961 को एक सेहत नामांतकरण संख्या 235 दर्ज हुआ जिसमें अब्दु खां पुत्र बजीर खां की जगह अब्दु खां पुत्र बागे खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर के नाम संशोधन दर्ज हुआ। जिसमें अब्दु खां पुत्र बजीर खां की जगह अब्दु खां पुत्र बागे खां इन्द्राज होना था तथा राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त संशोधन के साथ फरीद खां का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया जो राजस्व कर्मचारियों की भूल व गलती हैं। जिसके बाद जमाबंदीयों में फरीद खां का नाम नहीं आया तथा फरीद खां अपने 1/3 हिस्से पर ताउम्र कब्जा काश्त रहा फरीद खां के फौत होने पर फरीद खां के तीन पुत्रीयां वादीयागण एवं दतक पुत्र फतु खां कब्जा काश्त हुवे तथा ताउम्र फतु खां कब्जा काश्त रहे तथा फतु खां के फौत होने पर फतु खां के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 काबिज काश्त हुवे तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है वर्तमान में फरीद खां के वारिसान वादीयागण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि के 1/3 हिस्से भूमि पर कब्जा काश्त है उसी हिस्से एवं कब्जा काश्त अनुसार ही वादीयागण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु हो गई जिसके नाम हजफ का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार किया गया। जिसके वारिसान पहले से दावा में पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9 की ओर से जबाब दावा पेश किया जाकर दावा में दर्ज समस्त इबारत स्वीकार की गई एवं अंत में वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 व 9 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9 को उक्त दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के मध्य राजीनामा पेश हुआ जिसमें उक्त दावा वादीगण के हक में चाही गई सिद्धी एवं समस्त इबारत स्वीकार करने में समक्ष पक्षकारान सहमत हुए।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस श्रवण करने का निवेदन किया तथा बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9 को कोई एतराज व आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस श्रवण की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि वाके ग्राम मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 235 रकबा 4.37 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 236 रकबा 3.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.89 हैक्टर भूमि में वादीयागण को प्रत्येक को 1/12 – 1/12 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 व 9 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 5 को प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1048/7890 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को 267/7890 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 12/8/21
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

जनती बानो बनाम इस्लाम वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ एवं खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :— 14/2020

निर्णय दिनांकः— 12.08.2021

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि वाके ग्राम मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 235 रकबा 4.37 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 236 रकबा 3.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.89 हैक्टर भूमि में वादीयागण को प्रत्येक को 1/12 — 1/12 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 व 9 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 5 को प्रत्येक को 1/6 — 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1048/7890 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को 267/7890 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज,,—...................—...................मुबलिक—...................—दाबन,.........................—...............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह—...............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक—............. ....—................... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

साधुराम जाट 12/8/21

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर